भारत के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का क्षरण (The Fading of India’s Environmental Jurisprudence)

UPSC प्रासंगिकता

- **GS II:** न्यायपालिका, संवैधानिक मूल्य, पर्यावरणीय शासन
- **GS III:** पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

चर्चा में क्यों?

हालिया न्यायिक और नीतिगत घटनाक्रमों — जिसमें **पर्यावरण प्रभाव आकलन** (EIA) मानदंडों को उदार बनाना, अरावली श्रेणियों की एक सीमित परिभाषा (ऊंचाई आधारित) को स्वीकार करना, 'पोस्ट-फैक्टो' (कार्य के बाद) पर्यावरणीय मंजूरी देना और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देना शामिल है — ने भारत के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र और संवैधानिक प्रतिबद्धताओं के कमजोर होने पर गंभीर चिताएं पैदा कर दी हैं।

पृष्ठभूमि: भारत का पर्यावरणीय संवैधानिक ढांचा

भारत का पर्यावरण संरक्षण शासन एक मजबूत संवैधानिक और न्यायिक नींव पर टिका है:

- **अनुच्छेद 21:** न्यायपालिका ने इसका विस्तार कर 'स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार' को इसमें शामिल किया है।
- **अनुच्छेद 48A (नीति निर्देशक तत्व):** यह राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का दायित्व सौंपता है।
- **अनुच्छेद 51A(g):** यह नागरिकों पर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का 'मौलिक कर्तव्य' लागू करता है।

ऐतिहासिक रूप से न्यायपालिका ने निम्नलिखित सिद्धांतों के माध्यम से इन प्रावधानों को मजबूत किया है:

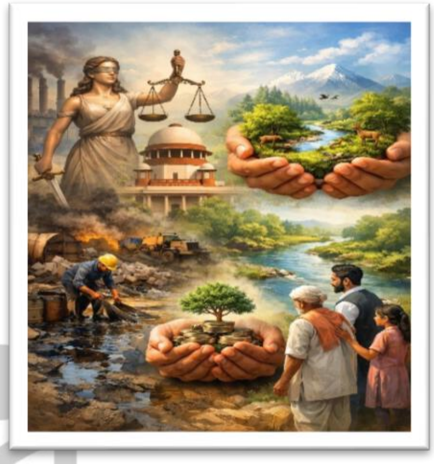

1. **एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle):** वैज्ञानिक अनिश्चितता के बावजूद क्षति को रोकने के लिए निवारक उपाय करना।
2. **सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत (Public Trust Doctrine):** राज्य प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी नहीं बल्कि जनता की ओर से उनका 'ट्रस्टी' (न्यासी) है।
3. **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle):** प्रदूषण फैलाने वाले को न केवल मुआवजे का भुगतान करना चाहिए, बल्कि पर्यावरण की बहाली का खर्च भी उठाना चाहिए।

वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम (1996), एम.सी. मेहता श्रृंखला और *कॉमन कॉज (2017)* जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने भारतीय अदालतों को पर्यावरणीय न्याय में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया था।

पर्यावरण संरक्षण में गिरावट के हालिया रुझान

1. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) शासन का कमजोर होना

दिसंबर 2025 में एक बड़ा बदलाव तब आया जब गैर-कोयला खनन परियोजनाओं को भूमि स्थान और क्षेत्र की सटीक जानकारी के बिना EIA करने की अनुमति दी गई। यह **"अधिग्रहण से पहले आकलन"** के सिद्धांत को प्रभावी रूप से उलट देता है। इसके अलावा, अदालती चेतावनियों के बावजूद 'पोस्ट-फैक्टो' (कार्य शुरू होने के बाद मंजूरी) को दी जा रही स्वीकार्यता कानून के डर को खत्म करती है।

2. अरावली पर्वतमाला: पारिस्थितिकी तंत्र के बजाय ऊंचाई आधारित परिभाषा

'इन रे: अरावली पहाड़ियों की परिभाषा (2025)' मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली को परिभाषित करने के लिए **100 मीटर ऊंचाई** के मानदंड को स्वीकार करना पुराने फैसलों से एक बड़ा विचलन है।

अरावली एक भू-आकृतिक और पारिस्थितिक तंत्र है, जो इनके लिए महत्वपूर्ण है:

- मरुस्थलीकरण को रोकना (थार मरुस्थल के विस्तार को रोकना)
- भूजल पुनर्भरण (Groundwater recharge)
- मिट्टी की स्थिरता और जैव विविधता संरक्षण

2010 तक के पिछले फैसलों ने ऊंचाई-आधारित परिभाषा को पारिस्थितिक रूप से त्रुटिपूर्ण मानकर खारिज कर दिया था। यह नया बदलाव बड़े संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण से बाहर करने का जोखिम पैदा करता है।

3. मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी पर खतरा

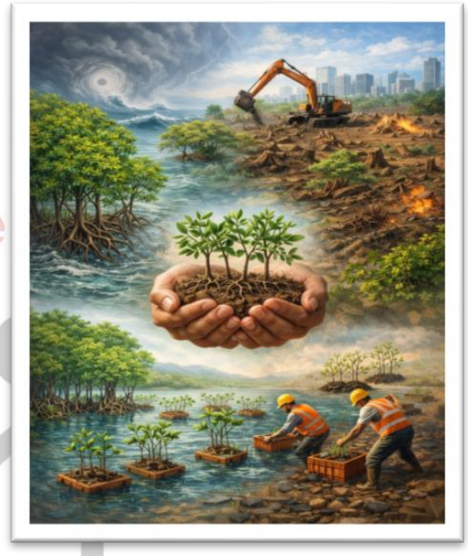

महाराष्ट्र में हजारों मैंग्रोव पेड़ों को काटने और उनके प्रत्यारोपण (Transplantation) की न्यायिक अनुमति एक चिंताजनक प्रवृत्ति है।

- **मैंग्रोव का महत्व:** ये प्राकृतिक बाढ़ बफर के रूप में कार्य करते हैं, 'ब्लू कार्बन' को संचित करते हैं और समुद्री तूफानों से रक्षा करते हैं।
- **चुनौती:** पारिस्थितिकी विज्ञान के अनुसार, पुराने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित होने में दशकों लगते हैं और उन्हें कहीं और कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता।

4. नाजुक हिमालय और बुनियादी ढांचा

चार धाम राजमार्ग जैसी परियोजनाएं विकास और पारिस्थितिकी के बीच तनाव को दर्शाती हैं। 2025 के एक अध्ययन में परियोजना के साथ **800 से अधिक भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों** की पहचान की गई थी। 'सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून (2021)' में संवेदनशीलता को स्वीकार करने के बावजूद, रणनीतिक कारणों का हवाला देते हुए चौड़ी सड़कों की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप बाद में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और भूस्खलन देखे गए।

न्यायपालिका की बदलती भूमिका और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता

एक चिंताजनक पैटर्न उभर रहा है जहाँ:

- बड़ी कॉर्पोरेट या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को न्यूनतम विरोध का सामना करना पड़ता है।
- जन सुनवाई (Public hearings) को केवल एक औपचारिक औपचारिकता माना जा रहा है।
- **अनुच्छेद 14 का उल्लंघन:** ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरणीय शासन आर्थिक रूप से शक्तिशाली समूहों के प्रति अधिक उदार है, जिससे सार्वजनिक विश्वास और संवैधानिक समानता का क्षरण हो रहा है।

आगे की राह

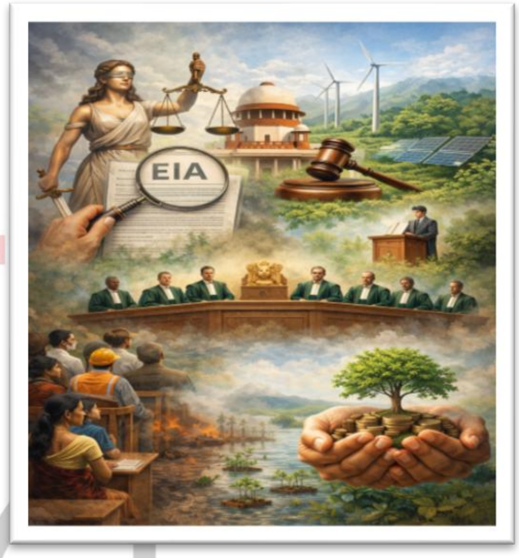

1. **एहतियाती सिद्धांत की प्रधानता:** न्यायिक निर्णयों में इसे पुनः प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2. **EIA को मजबूत करना:** मंजूरी से पहले सख्त आकलन और वास्तविक जन भागीदारी सुनिश्चित हो।
3. **ग्रीन बेंच:** सुप्रीम कोर्ट और सभी उच्च न्यायालयों में स्थायी 'ग्रीन बेंच' की स्थापना की जाए।
4. **वैज्ञानिक एकीकरण:** पर्यावरणीय निर्णय केवल प्रशासनिक सुविधा पर नहीं, बल्कि पारिस्थितिक विज्ञान पर आधारित होने चाहिए।
5. **संवैधानिक दायित्व:** अनुच्छेद 48A और 51A(g) को न्यायिक तर्क का आधार बनाया जाए।
6. **सुविधा का संतुलन:** 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का अर्थ 'ईज ऑफ एनवायरनमेंटल डिस्ट्रक्शन' (पर्यावरण विनाश की आसानी) नहीं होना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत एक संवैधानिक और नैतिक चौराहे पर खड़ा है। विकास के नाम पर पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को कमजोर करना दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षति और सामाजिक अन्याय का जोखिम पैदा करता है। एक स्थायी भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को विरोधियों के रूप में नहीं, बल्कि **संवैधानिक भागीदारों** के रूप में देखा जाए। पर्यावरणीय न्यायशास्त्र को पुनर्जीवित करना कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक और पारिस्थितिक आवश्यकता है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: भारत के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत' के अनुसार राज्य प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण स्वामी होता है।
2. 'एहतियाती सिद्धांत' पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव में भी निवारक कार्रवाई का आदेश देता है।
3. 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' को पहली बार भारतीय अदालतों ने *वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम* मामले में स्पष्ट रूप से मान्यता दी थी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3 C. केवल 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर: B (व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि राज्य स्वामी नहीं, बल्कि केवल एक 'ट्रस्टी' या न्यासी होता है।)

प्रश्न 2: अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए:

1. यह थार मरुस्थल से होने वाले मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक अवरोध के रूप में कार्य करती है।
2. यह भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. यह उत्तर-पश्चिमी भारत में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता गलियारे के रूप में कार्य करती है।

उपर्युक्त में से कौन अरावली को केवल ऊंचाई-आधारित पहाड़ी श्रृंखला के बजाय एक पारिस्थितिक तंत्र मानने का औचित्य सिद्ध करते हैं?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2 C. 1, 2 और 3 D. केवल 2 और 3

उत्तर: C

GS मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कमजोर होना भारत में संवैधानिक पर्यावरणवाद से पीछे हटने को दर्शाता है।" हालिया न्यायिक और नीतिगत रुझानों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में सतत विकास और संवैधानिक शासन के लिए इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

OPTIONAL
SUBJECT
वैकल्पिक विषय
PSIR
Fee - मात्र 6999 ₹
केवल 01 से 06 जुलाई
Dr. Faiyaz Sir

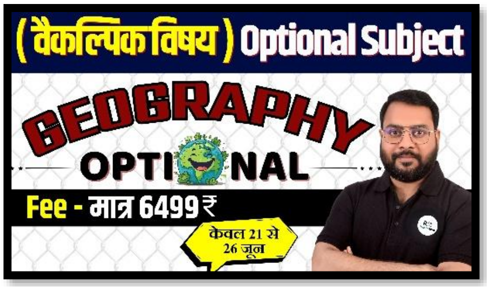

(वैकल्पिक विषय) Optional Subject
GEOGRAPHY
OPTIONAL
Fee - मात्र 6499 ₹
केवल 21 से 26 जून